संख्या पी-121/14-2-2016-800(117)/2016

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक, 07 सितम्बर 2016**

विषय- मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा बी0डी0 सिटी रोड पर टेंक चौराहे से औरंगाबाद (एन0एच0-2) तक साइकिल ट्रैक के निर्माण हेतु 3.272 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-103/मथुरा/16767/2015/यूपी/211, दिनांक 20-7-2016 तत्क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के सैद्धांतिक स्वीकृति संख्या- 8बी/यूपी/06/27/ 2016/ एफसी/51, दिनांक 27-4-2016 तथा विधिवत स्वीकृति संख्या- 8बी/यूपी/ 06/27/ 2014/एफसी/177, दिनांक 12-7-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा बी0डी0 सिटी रोड पर टेंक चौराहे से औरंगाबाद (एन0एच0-2) तक साइकिल ट्रैक के निर्माण हेतु 3.272 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति विषयक भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त स्वीकृति तथा राज्य सरकार की शर्तो/प्रतिबंधों को सम्मिलित करते हुए विज्ञप्ति निर्गत किया जाता हैं-

(1) भा0स0 वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(2) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन भूमि (3.272 हे0 संरक्षित वन भूमि) के दुगुने अवनत वनभूमि पर अर्थात 3.272 × 2 = 6.544हे0) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। यह वृक्षारोपण विधिवत स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जायेगा।

(3) भा0स0 अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

(4) भा0स0 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

(5) भा0स0 प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

shasanadesh.up.nic.in/sd/intra

(6) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
भा0स0

(7) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन
भा0स0 तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

(8) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए
भा0स0 किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(9) प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया
भा0स0 जायेगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक Backward एण्ड Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जायेगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत स्वीकृति जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा।

(10) प्रयोक्ता अभिकरण को यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के
भा0स0 प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(11) प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकाकर वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून
भा0स0 तथा दिशा-निर्देशों का पालन करेगी।

(12) प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक
भा0स0 अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(13) प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(14) मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(15) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(16) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(17) वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(18) प्रयोक्ता अभिकरण को यह वचनबद्धता देनी होगी कि यदि एन0पी0वी0 की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि होती है तो इसका भुगतान किया जायेगा।

(19) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(20) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(21) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(22) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-पी-121(1)/14-2-2016-तद दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ।
(2)- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
(3)- जिलाधिकारी, मथुरा।
(4)- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा।
(5)- सचिव,मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
(6)- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव

shasanadesh.up.nic.in/gomtra